न्यायालय मुन्सिफ, डुमरॉव, जिला–बक्सर

टी0एस0 सं0–27/1995

आदेश

02.05.2024

उभय पक्ष की हाजिरी दी गयी है। वादी के तरफ से शपथ पत्र के साथ दाखिल आदेश 22 नियम 4 वो दफा 151 सी.पी.सी. दिनांक–03.05.2023 का प्रतिस्थापन आवेदन प्रचालित किया गया। वादी का कथन है कि प्रतिवादी नं0–4 श्रीधर नारायण दुबे थे जो दिनांक–16.04.2023/17.04.2023 को दो पुत्र एवं पत्नी को छोड़कर मर गये। प्रतिवादी सं0–4 के उत्तराधिकारी मृत मुदालेह के इन्ट्रेस्ट को बखूबी रिप्रजेन्ट करते हैं। अतः मृतक का नाम वाद पत्र से कलमजद कर उनके स्थान पर उनके कानूनी वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा किया जाए।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुदई के तरफ से दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया गया।

वाद अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिस्थापन आवेदन समय–सीमा के अन्दर है। अतः न्यायहित में वादी द्वारा दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि आवेदनानुसार मृतक प्रतिवादी सं0–4 श्रीधर नारायण दुब का नाम कलमजद कर उनके जगह पर उनके कानूनी वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें।

लेखापित

मुंसिफ

<u>पश्चात्</u>
02.05.2024

वादी के तरफ से शपथ पत्र के साथ दाखिल आदेश 22 नियम 4 वो दफा 151 सी.पी.सी. दिनांक–19.06.2023 का प्रतिस्थापन आवेदन प्रचालित किया गया। वादी का कथन है कि प्रतिवादी नं0–5 वृज बिहारी दुबे थे जो दिनांक–17.05. 2023 को अपनी पत्नी एवं तीन पुत्र को छोड कर बफात कर गये हैं। उनके

कानूनी वारिसान उनके इन्ट्रेस्ट को रिप्रजेन्ट करते तथा उनके कुली मतरूके पर काबिज दाखिल है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0–5 वृज बिहारी दुबे का नाम विलोपित कर उनके जगह पर उनके कानूनी वारिसान का नाम दर्ज किया जाए।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुदई के तरफ से दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया गया।

वाद अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिस्थापन आवेदन समय–सीमा के अन्दर है। अतः न्यायहित में वादी द्वारा दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक–19.06.2023 को स्वीकृत किया जाता है।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि आवेदनानुसार मृतक प्रतिवादी सं0–5 वृज बिहारी दुबे का नाम कलमजद कर उनके जगह पर उनके कानूनी वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें।

लेखापित

मुंसिफ

<u>पश्चात्</u>
02.05.2024

वादी के तरफ से शपथ पत्र के साथ दाखिल आदेश 22 नियम 4 वो दफा 151 सी.पी.सी. दिनांक–14.09.2023 का प्रतिस्थापन आवेदन प्रचालित किया गया। वादी का कथन है कि प्रतिवादी नं0–3 कमला देवी दिनांक–12.08. 2023 को एकमात्र पुत्र शंभूनाथ दुबे को उत्तराधिकारी छोडकर मर गई हैं। उनके पुत्र शंभू नाथ दुबे पहले से ही प्रतिवादी सं0–3(ए) के रूप में पक्षकार है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0–3 कमला देवी का नाम विलोपित कर उनके जगह पर उनके कानूनी वारिसान का नाम दर्ज किया जाए।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुदई के तरफ से दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया गया।

वाद अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिस्थापन आवेदन समय–सीमा के अन्दर है। अतः न्यायहित में वादी द्वारा दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि आवेदनानुसार मृतक प्रतिवादी सं0–3 कमला देवी का नाम कलमजद कर उनके जगह पर उनके कानूनी वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें।

वाद दिनांक–..............................वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

मुन्सिफ